संख्या- 6/ 3590/30-3-14-15बी/2012

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 14 जनवरी, 2015

विषय - वाहन किराए पर लिए जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-112स्टोर्स/2014-टी0कवर/2012, दिनॉक 11-12-2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजस्व वसूली हेतु प्रवर्तन कार्य के लिये वाहन किराए पर लिए जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत 121 वाहन किराए पर लिए जाने अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि राजस्व वृद्धि हेतु प्रवर्तन कार्य के लिये शासनादेश संख्या-2275/30-3-2012-15बी/2012, दिनॉक 30-08-2012, शासनादेश संख्या-1484/30-3-13-15बी/2012, दिनॉक 18-06-2013 एवं शासनादेश संख्या-6/131/30-3-2014-4बी/2013, दिनॉक 13-01-2014 द्वारा कुल 60 वाहनों को किराए पर लि ए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा शासनादेश संख्या-76/2643/30-3-14-15बी/2012, दिनॉक 17-10-2014 द्वारा उक्त 60 वाहनों को दिनॉक 31-03-2015 तक किराए पर लिए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेशों दिनॉक 30-08-2012, दिनॉक 18-06-2013 व दिनॉक 13-01-2014 में निहित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, राजस्व वृद्धि हेतु प्रवर्तन कार्य के लिए उपरोक्त शासनादेशों द्वारा किराए पर 60 वाहन लिए जाने की अनुमति के अतिरिक्त 61 और वाहन अर्थात कुल 121 वाहन दिनॉक 31-03-2015 तक के लिए किराए पर लिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रू0 4200 करोड़ होगा तथा इसके सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2014-15 में अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-ई-9-07/दस-2015, दिनॉक 12 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-6/3590(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग।

7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in